कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 686 / 11–सी– FP/UP/ROAD/39999/2019, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 24 ,2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषयः– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे0 एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे0 एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे0 संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति।
(प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/ROAD/39999/2019)**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 102 / 2019 / एफ0सी0 / 481, दिनांक 07.01.2020 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–1362 / 11सी–FP/UP/ROAD/39999/2019, दिनांक 08.01.2020 तथा आपका पत्रांक–945 / 14–1, दिनांक 18.09.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के कम में वांछित सूचना / अभिलेख आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.09.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ / अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– भारत सरकार के आपत्ति सं0–1 के निराकरण के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में ग्रीन बेल्ट हेतु ग्राम–रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे0 भूमि वन विभाग को देने का उल्लेख किया गया है जबकि विषयगत प्रकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है। समतुल्य वन भूमि उसी स्थिति में दी जाती है जब आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हो। इसके तहत आपके द्वारा पूर्व में ही संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। अतः तदानुसार सूचना प्रेषित करें।

2– भारत सरकार के आपत्ति सं0–2 के निराकरण के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का प्राविधान है। अतः तदानुसार निराकरण / सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

24.9
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या–686 / 11–सी– **FP/UP/ROAD/39999/2019, दिनांकित।**</u>
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
2– अधिशासी अभियन्ता, जोन–5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

24.9
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C